रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 361] नई दिल्ली, बुधवार, जून 30, 1971/आषाढ़ 9, 1893

No. 361] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 30, 1971/ASADHA 9, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 30th June 1971

S.O. 2498/18A/IDRA/71.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notified order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Department of Industrial Development) No. S.O. 3091/18A/IDRA/67, dated the 2nd September, 1967, namely:—

In the said Order, in clause 5, for the words "three years, nine months and twentynine days" the words "five years" shall be substituted.

[No. F. 9(1)Lic.Pol./67.]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मन्त्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 30 जून, 1971

का० आ० 2498/18ए०/आई० डी० आर० ए०/71.—उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास और कम्पनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के अधिसूचित आदेश संख्या का० आ० 3091/18ए/आई डी आर ए/67, तारीख 2 सितम्बर, 1967 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में, खंड 5 में, "तीन वर्ष, नौ मास और उन्तीस दिन" शब्दों के स्थान पर "पांच वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं० एफ० 9(1) ए०ए० पी०/67]

एस० के० सहगल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971